उत्तरांचल

राज्य विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र में

श्री सुदर्शन अग्रवाल

महामहिम राज्यपाल, उत्तरांचल

का

अभिभाषण

देहरादून, सोमवार, 10 जनवरी, 2005 (पौष 20, शक सम्वत् 1926)

उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष 2005 के प्रथम सत्र में महामहिम राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल का अभिभाषण

*****

माननीय विधान सभा अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के माननीय सदस्यगण,

1. इससे पूर्व कि मैं अपने सम्बोधन को आरम्भ करूं मैं 26 दिसम्बर की उस हृदय विदारक राष्ट्रीय आपदा, जिसने अंडमान–निकोबार द्वीप समूहों, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों व पांडिचेरी में हजारों भारतीय परिवारों को प्रभावित किया, के राहत कार्यों में योगदान देने के लिए प्रदेश की जनता से अपील करता हूं तथा आप सबके साथ अपनी संवेदनायें भी प्रभावित परिवारों को प्रेषित करता हूं।

2. उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधान सभा के वर्ष 2004 के प्रथम सत्र में सदन के सुचारु रूप से संचालित करने एवं सकारात्मक प्रयासों के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उत्तरांचल अभी अपनी शैशवावस्था में है और यह आवश्यक है कि हम संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने एवं बनाये रखने में एक अग्रणी राज्य के रूप में अपने को प्रदर्शित कर सकें।

3. उत्तराखण्ड आन्दोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुरोधाओं एवं शहीदों के प्रति नमन व्यक्त करते हुए मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि कलेक्ट्रेट परिसर, देहरादून एवं रामपुर तिराहा, जनपद मुजफ्फरनगर शहीद स्मारकों का लोकार्पण किया जा चुका है। मसूरी एवं खटीमा में भी स्मारक बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। आज भी उत्तरांचल के अनेक वीर सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्र के गौरव एवं रक्षा के लिए बलिदान एवं शहादत दे रहे हैं। मैं इन सब वीरों को नमन करता हूँ एवम् अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शासन द्वारा स्वीकृत सुविधाएं सुगमता से सुलभ कराये जाने हेतु राज्य स्तर पर एक "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद्" का गठन किया गया है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को अनुमन्य राजकीय सुविधाओं का लाभ उठाने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए परिचय–पत्र जारी किये जाने के निर्देश जिलाधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं।

5. विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कर तथा करेत्तर राजस्व में निरन्तर वृद्धि तथा राज्य में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि किये जाने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। अब तक मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 16 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं जिसमें इस वर्ष 04 बैठकें आयोजित की गई हैं । वार्षिक ऋण योजना के आकार को इस प्रकार बढ़ाया गया है जिससे कृषि क्षेत्र में अगले तीन वर्षों में ऋण को दो गुना बढ़ाया जायेगा। नई औद्योगिक नीति के सन्दर्भ में राज्य में औद्योगीकरण की वृद्धि के साथ–साथ अधिक से अधिक संस्थागत वित्त पोषण की दृष्टि से तीन स्थायी बैंकर्स समितियां गठित की गयी हैं।

6. उत्तरांचल के गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों का विभाजन दोनों राज्यों की आपसी सहमति से "मुख्य सचिव समिति" द्वारा किया जाता है । अब तक परिसम्पत्तियों का विभाजन क्रमशः कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमाऊँ अनुसूचित जनजाति निगम लि0, गढ़वाल अनुसूचित जनजाति निगम लि0, हिल्ट्रान, 06 चीनी मिलें, राही मोटल हरिद्वार, पिरान कलियर पर्यटक आवास गृह, वन चिकित्सालय, हल्द्वानी, कृषि विभाग की सभी मण्डियाँ, जनपद ऊधमसिंह नगर में 05 जलाशय, काशीपुर हैचरी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, नेपा को उपलब्ध कराई गई हेमपुर जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थित भूमि, नई दिल्ली स्थित उत्तरांचल निवास, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, परिवहन निगम, वन निगम (भौतिक परिसम्पत्तियां), पावर कारपोरेशन (भौतिक परिसम्पत्तियां), जल विद्युत निगम (भौतिक परिसम्पत्तियां) पूर्ण हो चुका है। विभिन्न निधियों/कोषों में क्रमशः मण्डी परिषद् निधि, सैनिक कल्याण निधियाँ तथा कारगिल शहीद कोष, दातव्य निधि,

विजय निधि, झण्डा दिवस निधि एवं निदेशक कोष, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान कोष, श्रमिक कल्याण निधि और इनके समानान्तर उक्त निधियों की स्थापना उत्तरांचल में की जा चुकी हैं। व्यावसायिक परीक्षा परिषद् कोष, पंचायतीराज (रिवाल्विंग फण्ड), युवा कल्याण निधि एवं होमगार्ड कल्याण कोष में अविभाजित उत्तर प्रदेश की धनराशि का विभाजन करके उत्तरांचल को उसका अंश मिल चुका है। कर्मचारियों के विभाजन के लिए गठित राज्य परामर्शीय समिति द्वारा अब तक 62 विभागों/संवर्गों के अन्तिम आवंटन हेतु अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेजी जा चुकी है, जिनमें से इस वर्ष 25 विभागों/संवर्गों की अन्तिम आवंटन की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। शेष विभागों के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

7. राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002–07 रु0 9050 करोड़ के आकार की अनुमोदित है। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003–04 की वार्षिक योजना का आकार रु0 1575 करोड़ था जो कालान्तर में बढ़कर रु0 1607 करोड़ हो गया। केन्द्र में गठित नई सरकार व योजना आयोग के सहयोग से वर्ष 2004–05 के लिए रु0 1810 करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई है। वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना को बढ़ाने के प्रयास के फलस्वरूप योजना आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 890 करोड़ की वृद्धि कर रु0 2,700 करोड़ (दो हजार सात सौ करोड़ रु0) की स्वीकृति की है। इस सद्भावना हेतु मैं सदन की ओर से श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, उपाध्यक्ष व आयोग के माननीय सदस्यों श्री कीर्ति पारीख, श्री युगन्धर व श्री अभिजीत सेन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आयोग के सचिव श्री राजीव रतन शाह तथा उनके सहयोगी अधिकारियों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

8. हमारे नवगठित प्रदेश मे आधारभूत अवस्थापना तथा जनसुविधाओं का न्यूनतम समय में पर्याप्त विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने एक दसवर्षीय अवस्थापना लक्ष्य (विज़न) तैयार करके तद्नुसार सड़क, ऊर्जा, पेयजल, औद्योगिक विकास, पर्यटन, नगर विकास, परिवहन आदि क्षेत्रों में सुनियोजित कार्य सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। अवस्थापना निधि का सहारा लेने एवं आवश्यक अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने व जहाँ सरकारी संसाधन की कमी के

कारण उचित होगा, निजी निवेशकों की भागीदारी करने की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अवस्थापना विकास परिषद् द्वारा की जायेगी।

9. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत राज्य की पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पुष्टाहार योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु भारत सरकार से रु0 70 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ था, चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए इस योजना के अन्तर्गत रु0 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है। तदनुसार ही केन्द्र सरकार से इस मद में मिलने वाली आर्थिक सहायता को रु0 100 करोड़ कराये जाने का प्रयास किया जायेगा। स्वायत्तशासी, नाबार्ड, हुडको, एल0आई0सी0, जी0आई0सी0, सीडबी आदि संस्थानों से निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

10. पूर्णतः केन्द्र पोषित सम विकास योजना हेतु राज्य के 3 जनपदों चम्पावत, चमोली तथा टिहरी गढ़वाल का चयन किया गया है। आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत 3 वर्षों तक रु0 15 करोड़ प्रतिवर्ष चयनित जनपदों को अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी। इस प्रकार 3 जनपदों हेतु वर्ष 2004–05 में रु0 45.00 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2004–05 में क्रमशः भागीरथी नदी विकास प्राधिकरण तथा सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण दो प्राधिकरणों की स्थापना की कार्यवाही भी की जा रही है।

11. मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के उत्तरांचल में सतत् विकास हेतु सुदूर संवेदनशील प्रणाली के विकास हेतु अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आई0टी0 पार्क की स्थापना देहरादून एवं भीमताल (नैनीताल) में किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तरांचल में प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण हेतु क्रमशः माइक्रोसाफ्ट सेण्टर आफ एक्सीलेंस, आई0बी0एम0 सेण्टर ऑफ एक्सलेंस, डी0 लिंक एकेडमी, ओरेकल एकेडमी तथा अंग्रेजी एकेडमी की व्यवस्था की जा रही है।

12. उत्तरांचल में इ–गवर्नेन्स के अन्तर्गत भू–अभिलेखों, परिवहन प्रणाली, स्मार्ट कार्ड्स तथा भुगतान/सम्पत्ति सम्बन्धी देयकों के रख–रखाव की व्यवस्था, कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

13. मेरी सरकार द्वारा मंत्रीगणों, विधायकगणों व अधिकारियों के आवासों की समुचित व्यवस्था हेतु ट्रान्जिट हॉस्टल, यमुना कालोनी में भवन निर्माण तथा राजपुर रोड अधिकारी आवासों का निर्माण तथा मसूरी देहरादून प्राधिकरण से आवासों का क्रय किया गया है। राजकीय कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण कराये जा रहे हैं। मुम्बई में उत्तरांचल भवन–सह–इम्पोरियम बनाये जाने के लिए भूमि लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

14. विभिन्न विभागों के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारीवर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 तथा समूह 'घ' के पदों पर भर्ती हेतु नियमावली का प्रख्यापन किया जा चुका है ।

15. राजकीय सेवाओं में भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किये जाने हेतु नियमावली का प्रख्यापन किया जा चुका है। संयुक्त अवर अभियंता (आपातकालीन सीधी भर्ती) 2002 के कनिष्ठ अभियन्ताओं के 834 पदों पर चयन कराया गया। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल तथा 07 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिये जेल भेजे गये आन्दोलनकारियों को लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के समूह 'ग' तथा 'घ' के पदों पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

16. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में आयु सीमा में छूट, चयन में 05 प्रतिशत का अधिमान दिये जाने तथा अगले 05 वर्षों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 07 दिनों से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को स्वरोजगार योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल तथा जेल गये आन्दोलनकारियों को पहचान–पत्र दिये जाने का

निर्णय लिया गया है। राजकीय सेवाओं में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पदों का चिन्हीकरण कर अधिसूचना जारी की गयी है।

17. विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा समय--समय पर सांगठनिक सुझावों पर मेरी सरकार द्वारा समुचित विचार विमर्श करने के उपरान्त सार्थक निर्णय लिये गये हैं। कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा बहाल की गयी, महंगाई भत्ते का 50 प्रतिशत मूल वेतन में सम्मिलित किया गया है। वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया गया है। विभिन्न सेवा संवर्गों में रिक्त पदों के सापेक्ष कार्मिकों की पदोन्नतियां की गयी हैं परन्तु अभी भी अनेक संवर्गों में कार्मिकों का अन्तिम आवंटन न हो पाने के कारण सभी पदों पर पदोन्नतियां नहीं हो पायी हैं। मेरी सरकार कर्मचारी संगठनों की जायज मांगों पर सार्थक निर्णय लिये जाने के लिए सदैव सतत् रूप से प्रयास करती रहेगी।

18. सचिवालय ढांचे का पुनर्गठन करते हुए शासन में बढ़ते हुए कार्य के दृष्टिगत पूर्व में सृजित 59 अनुभागों की संख्या को बढाकर 107 कर दिया गया है तथा कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। कार्मिकों के कार्य में दक्षता बढ़ाये जाने हेतु उन्हें समय--समय पर प्रशासकीय मामलों तथा कम्प्यूटर आदि का प्रशिक्षण भी निरन्तर रूप से दिया जा रहा है।

19. उत्तरांचल राज्य में न्यायिक अधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से जनपद नैनीताल के स्थान भवाली में उत्तरांचल न्यायिक एवं विधिक अकादमी की स्थापना की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का भी पुनर्गठन किया गया है।

20. राज्य लोक सेवा अधिकरण की एक पीठ नैनीताल में स्थापित की गई है। इस पीठ की स्थापना नैनीताल में होने से उस मण्डल के वादकारियों को भी अधिकरण की अधिकारिता में आने वाले मुकदमों में सुलभ न्याय मिल सकेगा। पारिवारिक विवादों में सुलह समझौते के उद्देश्य से रुड़की (हरिद्वार) एवं ऋषिकेश (देहरादून) में भी पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है। अन्य पारिवारिक न्यायालय जनपद नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में स्थित हैं। न्याय को जन--जन तक सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से जिला हरिद्वार की

तहसील लक्सर, जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर एवं नरेन्द्र नगर में सिविल जज (जू0डि0) न्यायालयों की स्थापना की गई है। मा0 उत्तरांचल उच्च न्यायालय की पहल पर माननीय उच्च न्यायालय को वीडियों कान्फ्रेन्सिग की सुविधा से जोड़ा जा चुका है।

21 राज्य सरकार की रोजगारपरक औद्योगिक नीति, 2003 एवं भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की गयी है। औद्योगिक नीति से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में देश के औद्योगिक घरानों एवं प्रतिष्ठित उद्योग समूहों द्वारा उत्तरांचल में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा पूंजी निवेश के इन सुअवसरों का लाभ उठाने हेतु राज्य में सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से अधिक औद्योगिक सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों यथा हरिद्वार, पन्तनगर, देहरादून, कोटद्वार आदि में उत्कृष्ट औद्योगिक आस्थानों के विकास हेतु कार्य प्रारम्भ हो चुका है। उद्यमियों को विश्वस्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हरिद्वार तथा पन्तनगर में एकीकृत औद्योगिक आस्थानों के विकास का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इन औद्योगिक आस्थानों में इकाईयों की शीघ्र स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन तथा विकास के कार्यों को एक साथ प्रारम्भ कर इकाईयों की स्थापना में कम से कम समय लगने हेतु समयबद्ध रूप से कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। हरिद्वार में प्रथम चरण में 1150 एकड़ क्षेत्र में तथा पन्तनगर में 3400 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रहे इन औद्योगिक आस्थानों हेतु भूमि की व्यवस्था, विद्युत सब–स्टेशनों की स्थापना तथा अन्य अवस्थापना सम्बन्धी विकास कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा 70 करोड़ रु0 की धनराशि वर्ष 2004 में उपलब्ध करायी जा चुकी है। हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 500 इकाईयों को 750 से अधिक भूखण्ड, जिसका कुल क्षेत्रफल 630 एकड़ है, आवंटित किये गये हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में 2000 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की इकाईयों की स्थापना के फलस्वरूप 27000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र पन्तनगर में भी 3400 एकड़ भूमि में से प्रथम चरण में 1500 एकड़ भूमि विकसित की जा रही है। इस औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान तक 102 इकाईयों की स्थापना हेतु 220 एकड़ से अधिक भूमि उपलब्ध करायी गई है, जिसमें 400 करोड़ से अधिक का पूंजी विनियोजन तथा लगभग 7000 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस औद्योगिक

क्षेत्र में द्वितीय चरण में भी 1900 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

22. उक्त औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर में भी 1173 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। भावर में भी औद्योगिक विकास को सुदृढ़ करने हेतु कोटद्वार में एक वृहद ग्रोथ सेन्टर की स्थापना लगभग 100 एकड़ भूमि में रु0 16.85 करोड़ की लागत से की जा रही है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा 15 करोड़ की सहायता दी जा रही है। औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु शेष जनपदों में भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों/आस्थानों के विकास हेतु भी पहल की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अभी तक 5 निजी औद्योगिक आस्थानों/क्षेत्रों को शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है।

23. राज्य में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए विगत वर्ष के लक्ष्य 6000 के सापेक्ष इस वर्ष 7000 कर दिया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के सफल लाभार्थियों हेतु अपने उद्यम के विस्तार अथवा नई लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु भारत सरकार की लघु उद्योगों के लिये क्रेडिट गारन्टी फण्ड योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की दृष्टि से पीएमआरवाई–प्लस 2004 के नाम से एक नई योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा रही है। उद्यमिता विकास को विशेष महत्व देते हुए राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता विकास परिषद् का भी गठन किया गया है तथा भारत सरकार की सहायता से उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना का प्रयास किया जायेगा।

24. उपभोक्ताओं को ऊन की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु ऊन बैंकों का सुदृढ़ीकरण तथा निष्क्रिय कार्डिंग प्लांटों की मरम्मत इत्यादि कर इन्हें पुनः संचालित किया जा रहा है। उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ स्थित कार्डिंग प्लांटों को पुनः उत्पादनरत् किया जा चुका है। काशीपुर तथा जसपुर की बन्द कताई मिलों के कार्मिकों के वी0आर0एस0 मामलों में से अब तक रु0 35

करोड़ की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है। इसके उपरान्त इन मिलों को निजी निवेशकों के माध्यम से चलाये जाने का प्रयास भी किया जायेगा।

25. शासन द्वारा हथकरघा बुनकरों, छीपियों एवं हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान हेतु "उत्तरांचल हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्" का गठन किया गया है। इसके माध्यम से राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संचालन तथा बुनकरों, छीपियों एवं हस्तशिल्पियों के तकनीकी ज्ञान बढ़ाये जाने तथा व्यवसाय को बढ़ाये जाने हेतु औद्योगिक प्रदर्शनियों, गोष्ठियों, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है। राज्य के लिए अत्यन्त हर्ष एवं गौरव का विषय है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान, नई दिल्ली 2004 में उत्तरांचल पैवेलियन को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

26. वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए जारी आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की थोक बिक्री के अनुज्ञापन गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के अलावा पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लिमिटेड को भी दिये जाने का निर्णय लिया गया। उन होटल एवं रेस्तराओं को, जिनकी विगत तीन वर्ष में पके हुए भोजन की बिक्री रु0 3.00 लाख या उससे अधिक रही हो, को बार एवं बियर बार लाइसेन्स देने की योजना बनायी गयी है। मदिरा की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों एवं अंतरराज्यीय सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विभाग द्वारा 13 जाँच चौकियों सचलदलों की स्थापना की गयी है।

27. 2004–05 में कुल गन्ना क्षेत्र 1.10 लाख हैक्टेयर था, जिसे वर्ष 2005–06 में 1.20 लाख हैक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है। राज्य में अवस्थित सभी 10 चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2004–05 हेतु पेराई कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। गन्ने का मूल्य 107 रु0 प्रति कुन्तल घोषित किया जा चुका है। पेराई सत्र 2003–04 का चीनी मिलों द्वारा पेरे गये 397.35 लाख कुन्तल गन्ने के देय गन्ना मूल्य 37054.03 लाख रु0 के सापेक्ष 36267.75 लाख रु0 का भुगतान किया जा चुका है। गुड़, खाण्डसारी उद्योग एवं छोटे काश्तकारों के चीनी मिल मजदूरों को रु0 400 प्रतिमाह की अन्तिरम राहत सहायता प्रदान की गयी है।

28. बंधुवा श्रमिक पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन तथा समीक्षा के लिए जनपद स्तरीय तथा परगना स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में कुल 228 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। जनश्री योजना के अन्तर्गत दावों का निस्तारण करने के लिये ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया जा रहा है। प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में अब तक 3955 श्रमिक परिवारों को रुपये 112.86 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया। 2004–05 में अब तक प्रदेश के विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों एवं उनके मृतक आश्रितों को वेतन, क्षतिपूर्ति, न्यूनतम वेतन एवं ग्रेच्युटी आदि में रुपये 296.89 लाख का भुगतान कर लाभान्वित किया गया। प्रदेश में श्रम संविदा कल्याण बोर्ड, अनुसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निर्धारण हेतु उत्तरांचल न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड तथा श्रमिकों के हितों के लिए श्रमिक कल्याण निधि एवं श्रमिक कल्याण परिषद् का गठन किया गया है।

29. खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऊन योजना के उत्पादन केन्द्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) के प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान ही कार्य दिये जाने की कार्य योजना बनायी गई हैं, जिससे इनको स्वरोजगार के साथ–साथ अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सके। खादी एवं ग्रामोद्योग के उद्यमियों के उत्पाद को उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वेबसाईट में प्रदर्शित करने के साथ–साथ एवं उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उद्यमी विवरणिका बेहतर विपणन के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। केन्द्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड से अब तक जो योजनायें लागू नहीं हुयी हैं, उन्हें लागू करने की कार्यवाही की जा रही है, तथा अब तक 8,329 व्यक्तियों को स्थायी रोजगार तथा ऊन क्रय एवं बायोगैस संयत्रों की स्थापना से 23 हजार मानव दिवस सृजित किये गये हैं।

30. प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों के सेवायोजन हेतु 23 कैम्पस इण्टरव्यू आयोजित कर 282 प्रशिक्षार्थियों को नियोजित कराया गया। प्रदेश के दस राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेडेशन पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्रांश प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। राज्य के 03

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, क्रमशः देहरादून, काशीपुर एवं हल्द्वानी को सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के 13 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु डाटा एंट्री आपरेटर व्यवसाय एवं 05 संस्थानों में ड्राइवर कम मैकेनिक व्यवसाय प्रारम्भ किया जा रहा है। राज्य की औद्योगिक नीति को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2005–06 से प्रदेश के चार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः राजकीय आई0टी0आई0 युवक, हल्द्वानी राजकीय आई0टी0आई0 युवक, काशीपुर, राजकीय आई0टी0आई0 युवक, देहरादून तथा राजकीय आई0टी0आई0 महिला, देहरादून में खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing) के व्यवसाय उद्योग विभाग के सहयोग से खोले जाने प्रस्तावित हैं ।

31. प्रदेश के 04 सेवायोजन कार्यालय एवं 05 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र तथा 01 विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

32. श्रमिकों एवं बीमांकित व्यक्तियों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी देहरादून में कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत–सरकार के सहयोग से एक कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय खोला जाना भी प्रस्तावित है।

33. जनता को उनके निकटस्थ स्थानों पर वाहन पंजीयन, फिटनेस, परमिट आदि की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु देहरादून में परिवहन आयुक्त कार्यालय, पौड़ी, अल्मोड़ा एवं हल्द्वानी में संभागीय परिवहन कार्यालय तथा हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़ में उपसंभागीय परिवहन कार्यालयों की स्थापना की गई है। राज्य की सीमाओं पर 19 चैक पोस्टों की स्थापना तथा प्रत्येक जनपद में प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है। त्वरित सेवा प्रदान करने एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत विभाग की वैबसाईट इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई जा रही है। परिवहन आयुक्त कार्यालय में ऑन लाईन परमिट एवं संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून से ऑन लाईन पंजीयन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रथम चरण में राज्य की सीमा पर स्थापित 05 चैक पोस्टों का

कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। नगर प्रवर्तन दलों को प्रदूषण जांच हेतु प्रदूषण संयत्रों के क्रय हेतु व्यवस्था की गयी है। बैटरी चालित वाहनों पर अतिरिक्त कर में पांच वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राजधानी में एल0पी0जी0 से वाहनों के संचालन हेतु एल0पी0जी0 किट निर्माता एजेन्सियों का पंजीकरण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। देहरादून में इण्टर स्टेट बस टर्मिनल से अन्तरराज्यीय बसों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं दुर्घटना राहत हेतु मेरी सरकार द्वारा पहल की गयी है। इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से चेकिंग की जा रही है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत योजना के अन्तर्गत 04 बड़ी क्रेन एवं एम्बुलेंस मण्डलायुक्तों को आवंटित कर दी गयी हैं। प्रवर्तन कार्य को और प्रभावी बनाने के लिये समस्त उप जिलाधिकारियों को उनके अधिकारिता क्षेत्र के भीतर मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं। यात्रा मार्गों पर आने वाले तीर्थ यात्रियों/पर्यटकों की जानकारी के लिये उनके द्वारा बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों को **Dos and Don'ts** के रूप में समाचार–पत्रों के माध्यम से व्यापक रूप में प्रचारित एवं प्रसारित किया गया है। वाहनों के रात्रि चालन को नियंत्रित करते हुए समस्त जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को संयुक्त टास्क फोर्स बनाकर वाहन संबंधी अपराधों पर रोक लगाने के लिये निर्देशित किया गया है। उत्तरांचल परिवहन निगम के दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 से स्वतंत्र रूप से कार्य कराने के उपरान्त राज्य की जनता को सुगम एवं सुचारु परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं पर्यटकों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुये निगम के सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–2005 में निगम को राज्य सरकार की ओर से कुल रु0 28.00 करोड़ की धनराशि अंश पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई गई है तथा निगम द्वारा रु0 17.00 करोड़ का ऋण हुडकों से लिया जा रहा है। उक्त धनराशि से वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 400 नई बसें क्रय किया जाना प्रस्तावित है। अब तक निगम को कुल 224 चैसिस प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 193 चैसिस 40 डीलक्स बसों सहित पूर्ण कराकर बस संचालन हेतु विभिन्न क्षेत्रों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

34. मेरी सरकार द्वारा राज्य में उपलब्ध विद्युत उत्पादन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत 5 वर्षों में 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली उत्पादन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया था । मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि वर्तमान में 4170 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ

निर्माणाधीन हैं तथा 4189 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त परियोजनाएँ आवंटित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं का विकास उत्तरांचल जल विद्युत निगम, विभिन्न राष्ट्रीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा निजी विकास कर्ताओं के माध्यम से प्रस्तावित है। राज्य सरकार के उपक्रम उत्तरांचल जल विद्युत निगम को वर्ष 2003–04 में पाला मनेरी (416 मे0वा0), बवाला नन्द प्रयाग (132 मे0वा0), आराकोट त्यूनी (70 मे0वा0), त्यूनी पलासु (42 मे0वा0) तथा कुछ अन्य जल विद्युत परियोजनाएँ चरणबद्ध ढंग से निर्माण हेतु आवंटित की गई हैं। प्रधानमंत्री की 50,000 मे0वा0 जल विद्युत रणनीति के अधीन राज्य में 38 परियोजनाएँ 6114 मे0वा0 की चिन्हित की गई हैं, जिसकी प्री–फिजिबिलिटी रिपोर्ट "वैपकॉस" व उत्तरांचल जल विद्युत निगम के माध्यम से बनाई गई है। इन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना (DPR) तैयार करने हेतु 1506 मे0वा0 की 8 परियोजनाएँ उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को आवंटित की गई हैं जब कि 2312 मे0वा0 की 14 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं ।

35. 100 मे0वा0 से अधिक क्षमता की परियोजनाओं की निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से स्थापना के लिए मेरी सरकार द्वारा प्रसारित विस्तृत विद्युत नीति के अधीन प्रथम चरण में पाँच परियोजनाओं (1020 मे0वा0) के आवंटन की निविदा प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त 25 मे0वा0 तक की 8 परियोजनाएँ (77.6 मे0वा0) तथा 25 से 100 मे0वा0 की 2 परियोजनाएँ (123 मे0वा0) भी निविदा द्वारा आवंटन हेतु विज्ञापित की गई हैं। राज्य के गठन के पूर्व से आवंटित 30 परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तावकों के साथ भी अनुबन्ध किए जा चुके हैं । मेरी सरकार विद्युत क्षेत्र में सुधारों हेतु प्रयासरत है। केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 में वर्णित विधिक व्यवस्था के दृष्टिगत राज्य में विद्युत पारेषण तथा वितरण कार्यों को पृथक करने हेतु सरकार द्वारा पृथक पारेषण कम्पनी गठित कर दी गई है। प्रत्येक संयोजन को मीटरयुक्त करने तथा पुराने मीटरों को बदलने का कार्य प्रगति पर है। विद्युत चोरी के मामलों हेतु विशेष अदालतों का गठन किया जा चुका है, जबकि विद्युत के अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों हेतु निर्धारण अधिकारी, अपील प्राधिकारी, तथा शमन अधिकारी की व्यवस्था भी की गई है। वित्तीय वर्ष 2004–05 में 642 गांवों एवं 750 तोकों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 247 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा

चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार 40,000 बी0पी0एल0 परिवारों को निःशुल्क विद्युत संयोजन तथा 500 निजी पम्प सैटों/नलकूपों के ऊर्जीकरण का कार्य भी क्रियान्वयन में है। मई, 2003 में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क का कार्य प्रारम्भ किया गया था। मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष है कि मेरी सरकार ने इस पार्क का निर्माण पूर्ण कर उसे जनता के उपयोगार्थ खोल दिया है। मेरी सरकार ने दूरस्थ ग्रामों के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण हेतु सर्वेक्षण पूर्ण कर यथोचित तकनीकी का चयन कर लिया है और तद्नुसार कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेरी सरकार ने वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर को विद्युतीकरण की सुविधा, माँग पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रथम चरण में विद्युतीकरण हेतु शेष गाँवों का सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है ताकि शीघ्र इनका विद्युतीकरण किया जा सके ।

36. प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई सुविधा की सघनता बढ़ाने के लिए 99 नलकूप निर्माण की योजनायें 02 नहर निर्माण की योजनायें एवं 06 लिफ्ट नहर की योजनायें नाबार्ड से वित्त पोषित करायी गयी हैं, जिनका कार्य गतिमान है । उक्त के अतिरिक्त :

- नहर निर्माण एवं पुनरोद्धार की 08 योजनायें तथा 10 नलकूप निर्माण की योजना के वित्त पोषण की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हुई है, जिन पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

- 16 बाढ़ निरोधक योजनायें जिनकी लागत लगभग रु0 17 करोड़ है, नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु भेजी गयी हैं।

- भारत सरकार द्वारा इस वर्ष त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत देय 75 प्रतिशत केन्द्रांश में से 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में अनुमन्य होने विषयक संशोधन का लाभ उठाते हुए लगभग रु0 10 करोड़ लागत की योजनायें भारत सरकार को सन्दर्भित की गई हैं।

- ऊधमसिंह नगर की तुमरिया नहर प्रणाली जिसकी लागत लगभग रु0 24 करोड़ है, इस वर्ष स्वीकृत कराई गई है, जिस पर कार्य गतिमान है।

- सितारगंज में बेगुल नदी की बाढ़ सुरक्षा योजना पर निर्माण कार्य गतिमान है। जनपद हरिद्वार में भोगपुर से बालावाली तक की बाढ़ सुरक्षा योजना जिसकी लागत लगभग रु0 12 करोड़ है, को भी भारत सरकार से वित्त पोषित कराया जाना प्रस्तावित है।

- देहरादून जनपद में सौंग नदी पर बहुद्देशीय बाँध निर्माण योजना का अनुसंधान कार्य माह मार्च 2005 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निर्मित योजनाओं को पंचायतीराज संस्थाओं को चरणबद्ध रूप से हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप योजना के संचालन, रख–रखाव एवं कर निर्धारण/वसूली का अधिकार पंचायतीराज संस्थाओं/उपभोक्ता समूहों को शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा।

- टिहरी बहुद्देशीय परियोजना के प्रभावित व्यक्तियों के समुचित पुनर्वास का कार्य समय से सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार सहित समस्त स्तरों पर प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है।

37. राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत 2003 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में कुल 39967 बस्तियां चिन्हित हुई हैं, जिनमें से 4734 बस्तियां असेवित तथा 14091 आंशिक सेवित श्रेणी की हैं। वर्ष 2004–05 के लिये 384 बस्तियों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2004 तक 106 असेवित तथा 113 आंशिक सेवित कुल 219 बस्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। नानघाट गधेरे से पौड़ी नगर की पेयजल व्यवस्था हेतु लगभग रु0 43 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त है तथा योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी नगरों की जलोत्सारण योजनाओं पर भी निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिये

गये हैं। राज्य में पेयजल की समस्या को देखते हुये तुरन्त राहत हेतु हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जनपद देहरादून के 4 तथा हल्द्वानी के 1 नलकूप का जी0एस0एम0 तकनीक द्वारा स्वचालितीकरण किया गया है।

38. विश्व बैंक से पेयजल एवं स्वच्छता सेक्टर में ग्रामीण पेयजल योजना के निर्माण एवं पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु वर्ष 2005 में स्वजल परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारम्भ सम्भावित है। इस परियोजना में राज्य के समस्त जनपदों की लगभग 2000 ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। इस परियोजना की कुल लागत रु0 690.00 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक का अंश रु0 460.00 करोड़ है तथा परियोजना की अवधि 7 वर्ष की है।

39. मेरी सरकार राज्य की जनता को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर की उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। इस हेतु चिकित्सालयों का नवीनीकरण/उच्चीकरण कर विशेषज्ञ पदों के सृजन व संविदा पर नियुक्ति कर स्वास्थ्य सुविधायें जन–जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को सुदृढ़ करते हुये बाल मृत्यु दर में कमी हो व माताओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सकों की गम्भीर कमी को देखते हुये राज्य सरकार द्वारा संविदा पर चिकित्सक तैनात करने का निर्णय लिया गया है। 300 महिला व पुरुष चिकित्सकों की संदिदा के आधार पर तैनाती कर दी गयी है व लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 292 चिकित्साधिकारियों (पुरुष/महिला) को राज्य के दूर दराज क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर दिया गया है। इनमें से 118 चिकित्सक विशेषज्ञ अर्हता रखते हैं।

40. प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित चिकित्सा इकाईयों में वर्षों से रिक्त पड़े पैरामेडिकल पदों के विरुद्ध नियुक्तियाँ कर दी गई हैं। इस क्रम में 31 एक्सरे टेक्नीशियन एवं 120 उपचारिकाओं की नियुक्ति राज्य के पर्वतीय एवं दूर दराज के क्षेत्रों में की गयी। मेरी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में

महिला रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिला चिकित्साधिकारियों के पद का सृजन किया जाये, जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आये। वर्ष 2004–05 में स्कोवा द्वारा गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के सहयोग से भी सचल चिकित्सा इकाई प्रारम्भ कर दी गई है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य सम्बंधित कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार, प्राथमिक उपचार तथा प्रतिरक्षण का कार्य किया जा रहा है। पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत डाट्स प्रणाली (Directly Observed Treatment Shortcourse Chemotherapy) द्वारा क्षय रोग की चिकित्सा सुविधा उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों में लागू कर दी गई है, जिससे क्षय रोग पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। भवाली में क्षय रोग अस्पताल के स्थान पर चेस्ट इन्स्टिट्यूट स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तरांचल के 10 जनपदों में कुष्ठ रोग की व्यापकता दर को निवारण स्तर तक प्राप्त कर लिया गया है व शेष तीन जनपदों में व्यापकता दर को कम करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। आशा है कि शेष तीन जनपदों में 2005 के अन्त तक कुष्ठ रोग की व्यापकता दर को निवारण स्तर तक प्राप्त कर लिया जायेगा। अंधता निवारण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु वर्ष 2005 में एक लाख की जनसंख्या पर 500 कैटरैक्ट ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में अंधता दर 1.40 प्रति 10000 जनसंख्या है एवं इसको वर्ष 2005 में 1 प्रति 10000 जनसंख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। अंधता निवारण कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में पोर्टेबल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप (आई) दिया जायेगा ताकि दूर दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी आंखों का ऑपरेशन सुगमता पूर्वक किया जा सके।

41. एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनजागरण का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। एच0आई0वी0 मुक्त सुरक्षित रक्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिये जिला स्तर के अतिरिक्त अन्य बड़े चिकित्सालयों में ब्लड बैंक की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। विगत वर्ष 2 संयुक्त चिकित्सालयों में ब्लड बैंक के भवन निर्माण की स्वीकृति तथा 2 बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी/श्रीनगर में ब्लड बैंक चालू किया गया। वर्तमान में राज्य में 13 ब्लड बैंक स्थापित हो चुके हैं एवं वर्ष 2004–05 में 3 संयुक्त चिकित्सालयों, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर में ब्लड बैंक की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

42. सभी के सहयोग से वर्ष 2005 तक उत्तरांचल में पोलियो उन्मूलन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को सशक्त करते हुये मातृ एवं शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण की सेवाओं का सफल संचालन करते हुये जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु आई0सी0डी0एस0 व स्वास्थ्य विभाग के बीच सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को गति देने का प्रयास किया जा रहा है।

43. चिकित्सालयों के वर्तमान उपलब्ध ढांचे में उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना द्वारा वर्ष 2004–05 में जिला पुरुष व महिला चिकित्सालय, देहरादून, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार, जिला चिकित्सालय,बागेश्वर, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा, जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी के चिकित्सालय भवनों के परिवर्तन, परिवर्द्धन व नव निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा तहसील स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण का भी प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2003–04 में कपकोट, सोमेश्वर, पोखरी तहसील स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करते हुये निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। बड़कोट चिकित्सालय का उच्चीकरण किया जाना प्रस्तावित है तथा तहसील स्तरीय चिकित्सालय, रामनगर व धारचूला में चिकित्सालय भवनों के परिवर्तन व परिवर्द्धन का कार्य उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम द्वारा किया जा रहा है।

44. उत्तरांचल के तीन स्थानों श्रीनगर, देहरादून व अल्मोड़ा में रीजनल डायग्नोस्टिक सेन्टर इस वर्ष क्रियाशील कर दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेन्ट परियोजना के अन्तर्गत 29 अत्याधुनिक उपकरण जिला चिकित्सालयों/बेस चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश में तृतीय स्तर की चिकित्सा सुविधाओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिये निरन्तर प्रयासरत है। वन चिकित्सालय ट्रस्ट, हल्द्वानी, नैनीताल का विस्तार किया गया तथा मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा हल्द्वानी में वन चिकित्सालय ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अध्यापन प्रारम्भ करने के उपरान्त अब मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की स्थापना हेतु भारत सरकार की सहमति हेतु आवेदन किया जा चुका है। रुद्रपुर, जनपद उधमसिंह नगर में

भूमि की व्यवस्था करने के उपरान्त वहां भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रारम्भिक कार्यवाही शुरु हो गयी है। वीर चन्द्रसिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा पशुलोक ऋषिकेश में 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

45. राज्य के दो स्थानों (अल्मोड़ा/श्रीनगर) में टेली मेडिसिन (Tele Medicine) के प्रस्ताव को मूर्त रूप दिया जा चुका है तथा उपकरण स्थापित कर क्रियाशील कर दिये गये हैं और अब एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के विशेषज्ञों से विभिन्न केसों हेतु परामर्श किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को असाध्य बीमारियों के विशेषज्ञ उपचार के लिए सहायता दिये जाने हेतु "उत्तरांचल राज्य व्याधि सहायता निधि" का गठन कर ऐसे गरीब रोगियों को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 'यूनिवर्सल हैल्थ इन्श्योरेन्स योजना' भी लागू कर दी गयी है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक पद्धतियों के सुनियोजित विकास एवं उन्हें आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ जोड़ कर, समन्वय स्थापित करके मुख्य धारा में लाने हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में होम्योपैथिक, आयुर्वेद, चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की नियुक्ति कर जनसाधारण को तीनों पद्धतियों की चिकित्सा सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। हिम ज्योति फाऊंडेशन द्वारा प्रारम्भ किये गये 'हिम मुस्कान प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत ,ऐसे बच्चे, जिनके क्लैफ्ट लिप, क्लैफ्ट पैलेट थे, को खोजकर निःशुल्क शल्य क्रिया प्रदान करने का प्रयास किया गया। अब तक ऐसे 325 बच्चों को खोजकर, 150 बच्चों को निःशुल्क शल्य क्रिया का लाभ सुलभ कराया गया।

46. उत्तरांचल में मानव संसाधन के सुनियोजित विकास के लिए शिक्षा विभाग को एक बहुआयामी स्वरूप प्रदान किया गया है,। राज्य के 14304 प्राथमिक, 3557 उच्च प्राथमिक, 768 हाई स्कूलों एवं 988 इण्टरमीडिएट कॉलेजों के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं निकाय स्तर तक विभिन्न स्तरों की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए

मेरी सरकार निरन्तर प्रयासरत है। राज्य के सभी 11427 परिषदीय/राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना संचालित की जा रही है। योजना के सफल संचालन हेतु प्रत्येक विद्यालय में भोजन माता नियुक्त की गयी है और 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में भोजन माता के अतिरिक्त एक सहायक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पेयजल विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सम्प्रति 6978 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि 4526 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य सरकार 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान किये जाने के लिए दृढ़ संकल्प है और इसके लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–III तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 550 नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं 288 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है। इन विद्यालयों में 550 अध्यापक, 550 शिक्षा मित्र तथा 1679 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है। विद्यालय खोलने हेतु मानक पूरा न करने वाली बस्तियों में 1004 शिक्षा गारण्टी केन्द्र तथा 87 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 305 नये शिक्षा गारण्टी केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

47. सभी राजकीय/परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु विद्यार्थी सुरक्षा बीमा लागू की गयी है, जिसमें प्रीमियम की राशि का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था के लिए दो जनपदों उत्तरकाशी एवं चमोली में कक्षा 4 के विद्यार्थियों को रेडियो के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। 270 जूनियर हाई स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जायेगी। कम महिला साक्षरता दर वाले 38 विकास खण्डों हेतु बालिका शिक्षा कार्यक्रम संचालित है व पृथक से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना संचालित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है।

48. मेरी सरकार द्वारा 16 नये बालिका हाई स्कूलों, 109 नये सामान्य हाई स्कूलों तथा 79 इण्टर कॉलेजों की स्थापना कर शिक्षा के विस्तार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्याय पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक शिक्षा व्यवस्था

का पुनर्गठन किया गया है। विद्यालयी शिक्षा के लिए स्वीकृत ढाँचे के अनुरूप निदेशालय, मण्डल, जिला तथा ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों की तैनाती की गई है। संकुल स्तर पर न्याय पंचायत के प्रधानाचार्य को सम्बन्धित संकुल का प्रभारी नियुक्त कर अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन की निकटस्थ व्यवस्था की गयी है। नये खोले गये विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था के लिए शिक्षकों की तैनाती की जा रही है। एल0टी0 अध्यापकों की पूर्ति हेतु दोनों मण्डलों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर कोर्यवाही गतिमान है। 1219 प्रवक्ता के पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुति प्राप्त होते ही पदों की पूर्ति हो जायेगी। 47 प्रधानाचार्यों के पदों पर प्रोन्नति के माध्यम से तैनाती की जा चुकी है। शिक्षकों की व्यवस्था के साथ–साथ विद्यालयों में भवन, कक्षा–कक्ष एवं प्रयोगशाला निर्माण के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत है। जनसामान्य में विज्ञान शिक्षा एवं वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए विद्यालयों को विज्ञान उपकरण एवं विज्ञान किट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान किन्तु आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जनपद में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय स्थापित किये जाने का संकल्प किया था। इसके क्रम में अभी तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना कर संचालन आरम्भ कर दिया गया है।

49. मेरी सरकार ने बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु समस्त असेवित विकास खण्डों में कन्या हाई स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा को अधिकाधिक प्रोत्साहित किये जाने हेतु अशासकीय सहायता प्राप्त मिश्रित विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए कॉमन हाल एवं पृथक शौचालय हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के दौर को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल राज्य में संचालित पाठ्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाये जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Education Research and Training) द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को शामिल किये जाने पर विचार हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्रशिक्षण शिक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। शिक्षकों की नवीन शिक्षा तकनीकी एवं नवीन आयामों से परिचित कराने के लिये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की

जायेगी, ताकि राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को नवीनतम ज्ञान उपलब्ध कराया जा सके।

50. कम्प्यूटर शिक्षा को प्रोत्साहन दिये जाने के लिए राज्य के 1129 राजकीय हाई स्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों तथा 281 सहायता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इण्टर कॉलेजों में कम्प्यूटर की स्थापना की जा चुकी है। शिक्षकों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत 2135 शिक्षक मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर उनके द्वारा 9000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

51. प्रदेश के प्रत्येक जनपद के एक महाविद्यालय को विशिष्ट महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में 03 तथा द्वितीय चरण में भी 03 राजकीय महाविद्यालयों को चयनित किया गया है। इन महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों का अधिकतम प्रवेश सुनिश्चित किये जाने एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से परम्परागत विषयों के साथ–साथ 13 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किये गये हैं। वर्ष 2004–2005 में टनकपुर (ऊधमसिंह नगर) एवं चकराता (देहरादून) में स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने की योजना है। उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में परियोजना शिखर नामक व्यावसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्टैक तथा ई0सी0आई0एल0 नामक संस्थाओं द्वारा सफलता पूर्वक संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में गत वर्षों में स्थापित 15 राजकीय महाविद्यालयों में सेटेलाइट संचार एवं मल्टीमिडिया निर्मित अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था तथा सर्वोत्कृष्ट शैक्षिक सामग्री का लाभ दूरस्थ महाविद्यालयों में पहुँचाने की भविष्योन्मुखी योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में सिस्को सिस्टम्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड (सिस्को) के माध्यम से नेटवर्किंग सुविधा स्थापित करने के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी को चयनित किया गया है। महाविद्यालय में नेटवर्किंग हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय के शिक्षकों को सिस्को के द्वारा ही प्रशिक्षित किया जायेगा। राजकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय, ऋषिकेश में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य भी गतिमान है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के पद बड़ी संख्या में रिक्त रहने की समस्या रही है। प्रथम चरण में लोक सेवा आयोग द्वारा 200 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। द्वितीय चरण के 239 पदों पर चयन हेतु अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्रमबद्ध तथा समयबद्ध रूप से राज्य के समस्त महाविद्यालयों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से कराये जाने की योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2 एफ. से आच्छादित 32 महाविद्यालयों में से 20 महाविद्यालयों का निरीक्षण करने के उपरान्त उन्हें ग्रेडिंग प्रदान की गयी है, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,ऋषिकेश को "ए" ग्रेड प्राप्त हुआ है। राज्य के शेष महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा मूल्यांकन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए निदेशालय स्तर पर गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। प्रदेश में संस्कृत विषय के सुचारु पठन–पाठन हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय तथा देहरादून में उपलब्ध उच्च स्तरीय शिक्षा होने के कारण वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से नये रोजगारपरक विषयों पर बल देते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है।

52. विभिन्न राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रधानाचार्यों/कर्मशाला अधीक्षक/व्याख्याता के 96 रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त नियुक्तियां कर दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पॉलिटेक्निकों में 100 पद संविदा के आधार पर भी भरने की अनुमति दी गयी है। सभी राजकीय पॉलिटेक्निकों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु "प्रोजेक्ट शिखर" संचालित किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों के 200 शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट/इण्टेल से कम्प्यूटर प्रशिक्षण कराया गया है। उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा तकनीकी शिक्षा को रोजगारोन्मुखी तथा औद्योगिक मांग के अनुरूप 14 पाठ्यक्रमों का पुनर्निर्धारण/संशोधन करते हुए पॉलिटेक्निकों में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गयी है। राज्य में सभी सहायता प्राप्त/निजी स्ववित्त पोषित स्नातक स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को एक ही विश्वविद्यालय के अन्तर्गत लाने तथा तकनीकी शिक्षा को और केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से राज्य में देहरादून में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु विश्व बैंक पोषित

योजना के अन्तर्गत राज्य को सम्मिलित किया गया है और इस योजना से लाभान्वित होने वाली 05 संस्थाओं के साथ अनुबन्ध पत्र भी हस्ताक्षरित हो चुका है तथा भारत सरकार द्वारा अभी प्रारम्भिक तौर पर पूरी योजना अवधि के लिए रु0 27.77 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

53. उत्तरांचल में कृषि उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त करने हेतु उन्नत प्रजाति के बीजों, उर्वरकों, पौध सुरक्षा उपायों, तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ जैविक खेती के द्वारा ऐसे क्षेत्रों के विकास की रणनीति अपनायी गयी है, जहाँ उत्पादकता का स्तर काफी नीचे है तथा पारम्परिक खेती होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु दो नई योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी हैं, जिनके अन्तर्गत कृषकों के खेतों पर उन्नत कृषि तकनीक प्रदर्शन आयोजित करते हुए जल-पम्प, स्प्रिंकलर सेट, पाली-हाउस तथा कुछ चयनित कृषि यंत्र समूहों के लिए निःशुल्क स्थापित किये जायेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य चयनित ग्रामों में एकीकृत रूप से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार से किया जायेगा कि उसका समन्वित लाभ कृषकों को मिलने के साथ ही जीवन निर्वाह का दृढ़ आधार प्रदान कर सके। चालू वित्तीय वर्ष में एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग एण्ड इनफार्मेशन बैंक की स्थापना रुड़की विश्वविद्यालय के सहयोग से की जा रही है, जिससे कृषि सम्बन्धी विविध जानकारियां उपग्रह के माध्यम से प्राप्त हो सकेंगी तथा राज्य की आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यों का प्रभावी नियोजन सम्भव हो सकेगा। उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से रामगढ़ क्षेत्र, जनपद नैनीताल एवं चकराता क्षेत्र, जनपद देहरादून में रोप-वे निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जनपद नैनीताल में 3 अतिरिक्त रोप-वे निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तरांचल की 17 मण्डियों के क्षेत्रान्तर्गत 17 अत्यन्त पिछड़े गांवों को गोद लिया गया है। प्रत्येक गांव में प्रथम चरण में रु0 5.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

54. उत्तरांचल के सीमान्त एवं मध्यम श्रेणी कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए प्रमाणित बीज उत्पादन एवं प्रमाणित जैविक कृषि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, भूमि एवं संसाधनों के लिए पूर्णतया अनुकूल है। इन्हीं कारणों से उत्तरांचल बीज उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी

प्रदेशों में सम्मिलित है। उत्तरांचल स्टेट सीड् एण्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टीफिकेशन एजेन्सी द्वारा शुद्ध बीज की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित करना, विभिन्न फसलों का पंजीयन एवं प्रक्षेत्र निरीक्षण, उत्पादित बीजों का विधायन एवं पैकिंग, बीज नमूनों का परीक्षण, जैविक कृषि एवं उत्पादों का प्रमाणीकरण, प्रमाणित जैविक कृषि एवं प्रमाणित बीज उत्पादन तथा बीज परीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण, कृषकों को प्रमाणित बीज एवं जैविक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। एजेन्सी के भावी कार्यक्रमों में पर्वतीय जनपदों में आलू तथा शीतोष्ण एवं शंकर सब्जियों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, मैदानी क्षेत्रों में गन्ने एवं चारा फसलों का प्रमाणित बीज उत्पादन, पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से तिलहन एवं दलहन बीज प्रमाणीकरण का विस्तार, जैविक कृषि एवं जैविक उत्पादों का प्रदेश में प्रमाणीकरण, बीज प्रमाणीकरण एवं जैविक कृषि के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, बीज उत्पादकों एवं जैविक खेती के इच्छुकों को प्रशिक्षण, विभिन्न संस्थाओं को बीज प्रमाणीकरण एवं जैविक खेती के क्षेत्र में परामर्श प्रदान करना सम्मिलित है।

55. पर्वतीय जनपदों में अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों के अभाव को देखते हुए उत्तरांचल तराई एवं बीज विकास निगम के सहयोग से कोरवैली बीज उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का उत्पादन पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में कृषकों के सहयोग से कराया जायेगा। वर्तमान रबी में 207 हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बीज उत्पादन का कार्यक्रम कराया जा रहा है।

56. राज्य में हार्टिकल्चर टेक्नॉलॉजी मिशन के अन्तर्गत रु0 10.2 करोड़ अवमुक्त किया गया है और 2004–05 वर्षाकाल में फलों के अन्तर्गत 1361 हैक्टेयर, सब्जियों के अन्तर्गत 806 हैक्टेयर में क्षेत्र विस्तार किया जा चुका है। अमेरिका एवं न्यूजीलैण्ड से उन्नत किस्म की फल पौध रोपण सामग्री आयातित करके चौबटिया एवं रानीचौरी में इसका रोपण किया गया है। इसके अलावा अलाभकारी राजकीय उद्यानों में से 60 उद्यानों को सार्वजनिक–निजी क्षेत्र सहभागिता के सिद्धान्त के अन्तर्गत तकनीकी विपणन एवं प्रसार केन्द्रों के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ संस्थाओं/कम्पनियों को लीज पर अनुबंधित करने के निर्णय के अन्तर्गत अब तक 44 अनुबन्ध पूर्ण कर लिये गये हैं। इसी के साथ–साथ 27 राजकीय उद्यानों को विभिन्न

प्रजातियों के लिये उत्कृष्टता के केन्द्रों के रूप में विकसित करने हेतु निश्चित कार्य योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत 5 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की जा रही है तथा अन्य उद्यानों में भी क्रियान्वयन प्रारम्भ कर लिया गया है।

57. राज्य में लीची निर्यात क्षेत्र, पुष्प निर्यात क्षेत्र, जड़ी–बूटी निर्यात क्षेत्र एवं बासमती निर्यात क्षेत्र की स्थापना की गई है। इसके सफल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु कृषि निर्यात विकास इकाई का गठन किया गया है। लीची निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत उत्तरांचल में निर्यातकों द्वारा वर्ष 2004–05 में सीधे 67.7 टन (ताजा एवं प्रसंस्कृत) लीची का निर्यात किया गया तथा फूड वर्ड, फूड लैण्ड, महाग्रैप आदि संस्थाओं के माध्यम से 100 टन लीची का निर्यात एवं मदर डेयरी आदि संस्थाओं को देश के विभिन्न स्थानों में संगठनात्मक तरीके से बेचने हेतु 205 टन लीची उपलब्ध कराई गई। इस लीची के लिए कृषकों को लगभग रु0 22 से रु0 33 प्रति किग्रा0 तक मूल्य प्राप्त हुआ। पुष्प निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत गुलाब, जरबेरा, लिलीयम, आर्किड आदि पुष्प के निर्यात के लिए निर्यातकों के साथ अनुबन्ध किया गया है। जड़ी–बूटी निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 400 मै0 टन तक जड़ी–बूटी राज्य से खरीदे जाने के लिए अनुबंध किया गया है। निर्यात क्षेत्र के अन्तर्गत चिरायता, जटामांसी, कुट, कुटकी, तगर, वनककडी, लेवेन्डर, अतीस, कलिहारी, सर्पगन्धा आदि प्रजातियों का व्यापक कृषिकरण के लिए ठोस प्रयास किया जा रहा है।

58. औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को स्टाफ सहित हस्तान्तरण किया गया ताकि उद्यान सम्बन्धी शोध कार्यों को और अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली ढंग से सम्पादित किया जा सके। जी0बी0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं राज्य में स्थित अन्य प्रतिष्ठित संस्थान जैसे विवेकानन्द पर्वतीय एवं कृषि अनुसंधान शाला, अल्मोडा, कृषि रक्षा अनुसंधान शाला, पिथौरागढ़ आदि के माध्यम से चार प्लांट हैल्थ क्लीनिक (Plant Health Clinic) एवं दो डिजीज एवं वेदर फॉरकास्टिंग यूनिट (Disease & Weather Forecasting Unit), एक मशरूम इकाई, बायोकन्ट्रोल लैब की स्थापना करायी जा रही है। पौड़ी के भरसार में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक महाविद्यालय में अवस्थापनाओं के निर्माण का

कार्य समयबद्ध रूप से चल रहा है तथा वहां माली प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा द्विवर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है।

59. सेब की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एफ0ए0ओ0 सहायतित एपिल इम्प्रूवमेन्ट परियोजना पर कार्य शुरु कर दिया गया है, जिसके तहत आस्ट्रेलिया से नवीनतम प्रजातियों के रूट स्टॉक के आयात किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भरसार में 1 हैक्टेयर क्षेत्र में मदर ऑर्चाड एवं चौबटिया में 1 हैक्टेयर क्षेत्र में कलेक्शन ब्लॉक स्थापना प्रस्तावित है। एफ0ए0ओ0 टीम द्वारा उत्तरांचल के उत्तरकाशी, नैनीताल एवं अल्मोड़ा का भ्रमण कर वहाँ के स्थानीय बागवानों एवं कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेन्ट तथा ऑर्चाड मेनेजमेन्ट के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है तथा इसके साथ–साथ समेकित औद्यानिक विकास परियोजना का भी उत्तरांचल के 3 जनपदों यथा अल्मोड़ा, पौड़ी एवं चमोली में औद्यानिकी कार्यों का सफल संचालन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 157 कृषक समूहों का गठन कर उनके माध्यम से विभिन्न औद्यानिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

60. उत्तरांचल में चाय विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए चाय उत्पादन के समुचित विकास, वित्तीय व्यवस्था, निवेश आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने हेतु उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया है। चाय के क्षेत्र में अब तक 347 हैक्टेयर क्षेत्र में चाय बागानों का क्षेत्र विस्तार किया गया। 400 काश्तकारों से भूमि दीर्घकालीन अनुबंध कर चाय बागान तैयार किये गये हैं। इस वर्ष 3016 किग्रा0 चाय तथा 125160 किग्रा0 हरी पत्तियों का उत्पादन किया गया है।

61. उत्तरांचल में जड़ी–बूटी के समेकित विकास के लिए संरक्षण, विकास तथा उत्पादन (सी0डी0एच0) योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत राज्य के समस्त वन प्रभागों में संरक्षण, विकास एवं उत्पादन कम्पार्टमेन्ट चिन्हित कर लिये गये हैं। संरक्षण कम्पार्टमेन्ट के अन्तर्गत 86,172.8 हैक्टेयर वन क्षेत्र को संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। इन वन क्षेत्रों में जड़ी–बूटियों के मात्रात्मक मूल्यांकन के लिए त्वरित नक्शाकरण कार्य किया जा रहा है। उत्तरांचल राज्य में अब तक कुल 489 नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जिनमें वर्तमान में लगभग 27 लाख रोपण योग्य

पौध उपलब्ध है। वन विभाग द्वारा सामुदायिक भूमि में वर्ष 2004–05 में अब तक 2668 हैक्टेयर क्षेत्र में आंवला, हरड़, बहेड़ा, रीठा आदि प्रजातियों का रोपण किया गया है। जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, भेषज संघ, सुगन्ध पौध केन्द्र, सेलाकुई एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा 179 हैक्टेयर भूमि पर जिरेनियम, बडी इलायची, लेमनग्रास, कुटकी, तगर, कूट, तेजपात, वचा, रीठा, कपूरकचरी, सफेद मूसली तथा स्टीविया आदि का कृषिकरण किया जा रहा है। राज्य में इस वर्ष 3 स्थलों यथा बीबीवाला (ऋषिकेश), टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी–बूटी मण्डियाँ स्थापित की गई हैं। वर्ष 2004–05 में अब तक 11300.46 कुन्तल जड़ी–बूटियों का संग्रहण वन विकास निगम द्वारा तथा 2708 कुन्तल जड़ी–बूटी का उत्पादन एवं संग्रहण भेषज संघ द्वारा किया गया है।

62. राज्य में पहली बार रेशम एवं टसर वस्त्र का उत्पादन कर उत्तरांचल रेशम फेडरेशन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विपणन किया जा रहा है। 38 रेशम फार्म को अनुरक्षण करने के लिए रेशम कीटपालकों की समितियों को दिया गया है। 222 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिनमें से 22 समूहों द्वारा सामुदायिक चॉकी कीटपालन का कार्य किया जा रहा है। प्रथम बार रेशम उत्पादकों का निर्यात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका व स्पेन को किया गया। इस वर्ष अब तक 3400 कीटपालकों के माध्यम से 85.2 मै0टन रेशम कोया का उत्पादन किया गया है। तथा 6270 किग्रा0 रेशम धागा उत्पादन किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र के 719 कीटपालकों के माध्यम से 40 लाख ओक टसर कोया का उत्पादन एवं 260 किग्रा0 टसर धागा तैयार किया गया है।

63. केन्द्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन कार्य को स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना द्वारा, ग्रामीण रोजगार को सम्पूर्ण ग्रामीण योजना द्वारा, ग्रामीण आवास को इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना द्वारा तथा संयोजिता को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में सक्रियता पूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण उन्मूलन हेतु राज्य के 376502 बी0पी0एल0 परिवारों के सापेक्ष 50 प्रतिशत परिवारों के 19095 समूह के सापेक्ष स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2004 तक 18071 समूह गठित किये गये जिसमें से 9513 समूहों की प्रथम श्रेणी ग्रेडिंग

पास कर 8792 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया जा चुका है तथा 3828 समूहों की द्वितीय ग्रेडिंग की जा चुकी है जिसके 2717 समूहों के 27098 स्वरोजगारियों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है, योजनान्तर्गत प्रदेश में संचालित विशेष परियोजनाओं के अन्तर्गत चयनित स्वरोजगारियों को प्रशिक्षणोपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 2362 वित्त पोषित स्वयं सहायता समूहों को बीमा आच्छादित कराया गया है। स्वरोजगारी समूहों एवं स्वरोजगारियों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय हेतु माह नवम्बर, 2004 तक 14 विपणन केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 18 केन्द्र निर्माणाधीन हैं। साथ ही 03 ग्रामीण शिल्प केन्द्रों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 11 निर्माणाधीन हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 9.50 करोड़ की बॉयलर कुक्कुट पालन परियोजना की भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में 02 मदर फार्म रूद्रपुर एवं पशुलोक ऋषिकेश में स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक पैमाने में कुक्कुट इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

64. प्रदेश के 05 जनपदों के 17 विकास खण्डों में 42960 परिवारों के सहायतार्थ वाह्य सहायतित परियोजना आइ0एफ0ए0डी0 मेरी सरकार द्वारा स्वीकृत करायी गयी है। सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से माह नवम्बर, 2004 तक 49.43 लाख मानव दिवसों का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों में 14684 स्थाई आर्थिक, सामाजिक परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया एवं रु0 4347.54 लाख के व्यय के साथ ही 37146 मै0 टन खाद्यान्न मजदूरी के रूप में श्रमिकों को वितरित कर खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2004–05 में नई राष्ट्रीय श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के जनपद टिहरी गढवाल एवं चम्पावत को चयनित करते हुए योजना हेतु प्रति जनपद रु0 2.00 करोड़ अर्थात कुल रु0 4.00 करोड़ का आवंटन तथा खाद्यान्न के रूप में 10148 मै0टन खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया गया है।

65. ग्रामीण आवास योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में माह नवम्बर, 2004 तक 10132 आवासीय इकाईयों का निर्माण/उच्चीकरण इन्दिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना तथा नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत किया गया। मेरी

सरकार द्वारा अगस्त, 2004 से नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना को वृहत रूप से संचालित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु रु0 201.04 करोड़ से 164 मार्गों जिनकी कुल लम्बाई 796.02 कि0मी0 है तथा 04 सेतुओं का निर्माण सम्पादित किया जायेगा, जिसके सापेक्ष 102 कार्य पूर्ण कराकर रु0 106.52 करोड़ व्यय किया जा चुका है । तृतीय चरण के 52 कार्यों हेतु रु0 55.53 करोड़ स्वीकृत है जिसका क्रियान्वयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

66. संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों को त्रिस्तरीय पंचायतों के नियंत्रण में लाये जाने का प्राविधान किया गया है। राज्य के गठन के पश्चात् राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार प्रथम चरण में 14 विषयों क्रमशः पेयजल, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, लघु सिंचाई तथा कृषि (जलागम) को पंचायतों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त 14 विषयों में से 10 विषय क्रमशः कृषि, चिकित्सा, परिवार कल्याण, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण तथा पेयजल के विषयों के प्रशासनिक दायित्व एवं वित्तीय अधिकार पूर्ण रूप से त्रिस्तरीय पंचायतों के नियंत्रण में लाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

67. ''पंचायत पदाधिकारी प्रशिक्षण योजना'' के अन्तर्गत निर्णय लिया गया है कि अध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत, प्रमुखगण, सदस्य क्षेत्र पंचायत, समस्त प्रधानगण तथा सदस्य ग्राम पंचायत कुल 54473 त्रिस्तरीय पंचायत पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत प्रशिक्षित किया जाय। अभी तक अध्यक्ष जिला पंचायत, सदस्य जिला पंचायत तथा प्रमुखों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शेष पंचायत पदाधिकारियों को इसी वित्तीय वर्ष में शत–प्रतिशत प्रशिक्षण पूर्ण कराया जायेगा। 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जनपदीय एवं विकास क्षेत्र कार्यालयों को कम्प्यूटराईज्ड किया जा रहा है ताकि जन सामान्य की शिकायतों का

निवारण, सूचना संकलन के उद्देश्यों की पूर्ति यथाशीघ्र की जा सके। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण की भी योजना है।

68. प्रदेश में लगभग 1337 करोड़ की लागत के 9086 कि0मी0 मार्गों तथा 192 पुलों का निर्माण विभिन्न स्तरों में प्रगति पर है। केन्द्रीय सेक्टर में लगभग रु0 60 करोड़ के कार्य विभिन्न स्तरों पर गतिमान है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से एशियन डेवलपमेंट बैंक से वित्त पोषण हेतु प्रयास किया जा रहा है। इन योजनाओं की कार्यवाही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से कराने के लिए प्री–फिजीबिलिटी रिपोर्ट का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। निजी संस्थाओं की सहभागिता की दृष्टि से प्रमुख मार्ग के उच्चीकरण व चौड़ीकरण हेतु बी0ओ0टी0 के माध्यम 300 कि0मी0 सड़कों को विकसित किए जाने के लिए अध्ययन प्रारम्भ कर लिया गया है, जिसे पूर्ण कर अवस्थापना सुविधा स्थापित करने में निजी पूंजी की सम्भावना बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की 325 करोड़ रुपये की लागत की सड़कों का वित्त पोषण आर0आई0डी0एफ0–10 के अन्तर्गत नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के सफल मूल्यांकन एवं समीक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के माध्यम से साफ्टवेयर बनाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए 59 सहायक अभियन्ता एवं 360 कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति की जा चुकी है।

69. पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (75 प्रतिशत केन्द्रपोषित) नामक योजना राज्य में प्रारम्भ की जा चुकी है।

70. उत्तरांचल भेड़ विकास बोर्ड के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (भेड़ विकास) तथा राज्य में 05 बहुद्देशीय केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है।

71. कुक्कुट विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की सहायता से दो कुक्कुट प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है तथा व्यवसायिक द्विउद्देशीय कुक्कुट चूजों का उत्पादन एवं वितरण कर बैक्यार्ड कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

72. पशुओं के कल्याण हेतु उत्तरांचल पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य में पशु चिकित्साविदों की क्षमता के विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से "उत्तरांचल पशु चिकित्सा परिषद्" का गठन किया जा चुका है।

73. मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप तुमड़िया, बौर, धौरा, बैगुल, नानकसागर एवं शारदासागर (आंशिक भाग) के मत्स्यकी अधिकार उत्तरांचल को प्राप्त हो गये हैं। जलाशयों की नीलामी मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा की गई, जिससे लगभग रु0 300.00 लाख की धनराशि राज्य को प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 से काशीपुर हैचरी/मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्र, हेमपुर फार्म काशीपुर का प्राधिकार उत्तरांचल राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को प्रदान कर दिये गये हैं। जिसमें मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। प्रदेश के मैदानी भागों में 54.19 हैक्टेयर के 38 तालाब मत्स्य पालकों को 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराये गये। 2004–05 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2004 तक 7.77 हैक्टेयर के 79 तालाबों हेतु बैंक ऋण एवं शासकीय ऋण उपलब्ध कराये गये। विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों एवं हैचरी से विभिन्न मत्स्य प्रजातियों जैसे ट्राउट महाशीर, कामनकार्प, मेजरकार्प, असेला आदि के 355.34 लाख मत्स्य बीज उत्पादन किये गये। जनपद नैनीताल में स्थित भीमताल, सातताल एवं नौकुचियाताल झीलों तथा जनपद चमोली में बैरागना मत्स्य प्रक्षेत्र पर मत्स्य आखेट की सुविधा प्रदान की जा रही है तथा 1432 देशी एवं विदेशी पर्यटकों को एंगलिग परमिट निर्गत किये गये।

74. सघन मिनी डेरी परियोजना पांच वर्षों (2004–05 से 2008–09) के लिए स्वीकृत की जा चुकी है। योजनान्तर्गत 7450 मिनी डेरी की स्थापना की जानी है। डेरी फेडरेशन एवं मदर डेरी फूड्स लि0 के संयुक्त उपक्रम "आँचल मिल्क फूड लि0" द्वारा कार्यवाही की जा रही है। संयुक्त उपक्रम द्वारा लगभग 83 हजार लीटर प्रतिदिन तरल दूध विक्रय किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित समन्वित डेरी विकास योजना के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में निर्माणधीन क्रमशः 50 हजार तथा 30 हजार लीटर प्रतिदिन दैनिक क्षमता की दुग्धशालाओं में प्रसंस्करण कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु यू0एल0डी0बी0 के माध्यम से प्रत्येक जनपद में दुग्ध संघों के सहयोग से चारे हेतु

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है। अपमिश्रित/सिंथेटिक दूध की आपूर्ति नियंत्रित करने हेतु नैनीताल जनपद में डेरी शोध एवं विकास केन्द्र की स्थापना अन्तिम चरण में है। "आँचल ब्रॉड" से निर्मित घी हेतु एगमार्क प्रमाणिकरण की कार्यवाही की जा रही है। नैनीताल जनपद की दुग्धशाला को आई0एस0ओ0 9002 प्रमाणिकरण प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

75. ग्रामीण आर्थिक विकास में सहकारिता की सशक्त भूमिका हेतु प्रदेश की समस्त सहकारी समितियों के निर्वाचन कराये जा रहे हैं। कृषि ऋण पर ब्याज की दर घटाकर 09 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई है और कृषि ऋण को दोगुना करने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, वर्तमान वर्ष में अब तक लगभग 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर ली गई है। मेरी सरकार द्वारा सभी छोटे व सीमान्त कृषकों के लिये एक वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना "नारायण कृषक कवच" योजना के नाम से प्रारम्भ की गई है, जिसमें बीमे की राशि रु0 50 हजार तथा वार्षिक प्रीमियम 5 रु0 होगा। अन्य सभी कृषक तथा सहकारी बैंकों के खातेदार भी वार्षिक प्रीमियम का भुगतान कर इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। महिला समूहों के गठन, मिनी बैंकों की स्थापना, भेषज कृषिकरण तथा ऋणों को बहुआयामी बनाये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। सभी सहकारी बैंक वर्तमान में लाभार्जन कर रहे हैं। सहकारिता में सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

76. उत्तरांचल एक वन बाहुल्य क्षेत्र है और वन सम्पदा के संरक्षण में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। वनों के प्रबंधन में जन सहभागिता को बढ़ाने का हमारा प्रयास है तथा इसके लिये वन पंचायतों के गठन को प्राथमिकता दी जा रही है। हम राज्य के सम्पूर्ण राजस्व ग्रामों को वन पंचायतों के अन्तर्गत लाने को प्रतिबद्ध हैं एवं मुझे यह बताने में हर्ष है कि प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक राजस्व ग्राम वन पंचायतों के अन्तर्गत आ चुके हैं। वनों के संरक्षण एवं जन सहभागिता को बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने की दिशा में औषधीय प्रजातियों को उगाकर वन क्षेत्रों में लगाने के कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है। वन विभाग द्वारा उगाये गये जड़ी-बूटी पौधों को यदि कोई कृषक क्रय कर अपने निजी भूमि में लगाना चाहता है तो यह

सुविधा प्रदान की गई है। इससे होने वाले आय से संबंधित कृषक का आर्थिक स्तर जहां सुधरेगा वहीं राज्य के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होनी निश्चित है। आगामी वर्षों में जड़ी–बूटी का कृषिकरणं किये जाने पर हम विशेष ध्यान देंगे।

77. बांस एवं रिंगाल को गरीबों की इमारती लकड़ी तो कहा ही जाता है साथ–साथ कुटीर उद्योगों, कागज उद्योगों, प्लाइवुड उद्योगों में इसकी उपयोगिता होने से इसके रोपण की दिशा में अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिससे उद्योगों का बढ़ावा मिलने के साथ–साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। अब तक 4 लाख से भी अधिक पौधों का रोपण कर दिया गया है। बाँस पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये एक अनुबंध भी किया जा चुका है। उत्तरांचल में वनों के संरक्षण, पर्यावरण सुधार, वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने हेतु उत्तरांचल बायोडाइवरसिटी कन्जरवेशन सोसाइटी का गठन किया गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क में एलीफैन्ट कोरीडोर की स्थापना की ओर भी कारगर प्रयास किये जा रहे हैं।

78. पर्वतीय राज्य की भौगोलिक विषमता व अच्छी जलवायु के कारण उत्तरांचल राज्य जैव विविधता में अत्यंत धनी है, जिसके संरक्षण, विकास व अनुसंधान के लिये प्रत्येक प्रभाग हेतु एक–एक वानस्पतिक प्रजाति को चिन्हित किया गया है। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटी हल्द्वानी में "जिम कार्बेट हैरिटेज ट्रेल" की भी स्थापना कर दी गई है।

79. राज्य में विकास कार्य अवरुद्ध न रहें इस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की प्रक्रिया को यथा संभव सरलीकृत किया गया है। अब तक मोटर मार्गों का निर्माण, पेयजल योजनाओं के निर्माण, सिंचाई योजनायें, विद्युत पारेषण लाइनों को बिछाना आदि 812 प्रकरणों पर वन भूमि का हस्तान्तरण किया जा चुका है।

80. राज्य मे जल की समस्या से निपटने के लिये नैसर्गिक जल श्रोतों की सूची बना ली गई है और जल श्रोतों के "जल समेट वानस्पतिकीय उपचार तथा संरक्षण योजना" भी तैयार की जा रही है, जिससे जल संरक्षण में वृद्धि होगी। बायोफ़्यूल के विकास हेतु रतनजोत नामक वनस्पति

प्रजाति को सामुदायिक भागीदारी के साथ विकसित किये जाने हेतु अनुबंध भी किया जा चुका है एवं इस प्रजाति के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष वानिकी पुरुस्कार से सम्मानित किया जाता है।

81. उत्तरांचल द्वारा हिमालयी प्रदेशों के वन मंत्रियों, वन सचिवों, प्रमुख वन संरक्षकों का प्रथम सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें इस प्रदेश के विकास के संदर्भ में विभिन्न समस्याओं एवं विकास के अवसरों पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया तथा उन सभी से भारत सरकार के प्रतिनिधियों, जो इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे, को भी अवगत कराया गया।

82. वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषित जलागम प्रबन्धन की योजनायें चलाई जा रही हैं, यथा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा वित्त पोषित समेकित बंजर भूमि विकास योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0), कृषि मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित वारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम (एन0डी0पी0डब्ल्यू0आर0ए0) तथा वन विभाग द्वारा संचालित नदी घाटी परियोजना चलाई जा रही हैं। इन परियोजनाओं के अतिरिक्त जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा विश्व बैंक वित्त पोषित आई0डब्ल्यू0डी0पी0 (हिल्स–II), शिवालिक परियोजना चलाई जा रही है। इन सभी जलागम प्रबन्ध योजनाओं का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं वनस्पति का संवर्धन, संरक्षण एवं सुनियोजित प्रबन्धन करना है। वर्तमान में जलागम प्रबन्ध परियोजनायें ग्रामीण समुदायों के सहयोग से चलाई जा रही हैं। जहां इन कार्यक्रमों से एक ओर प्राकृतिक संसाधनों से सुनियोजित प्रबन्धन में सहायता मिलती है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आय के संसाधन बढाकर उत्पादकता एवं आय में वृद्धि के नये अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी मदद मिलती है। मुझे आपके संज्ञान में यह लाते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार के प्रयासों से जलागम प्रबन्ध के विकास के महत्व को देखते हुए प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक नवीन महत्वाकांक्षी जलागम प्रबन्ध परियोजना स्वीकृत हो चुकी है। यह योजना पर्वतीय जनपद के चयनित विकास खण्डों के लगभग चार सौ से चार सौ पचास ग्राम पंचायतों में अर्थात् लगभग बारह सौ राजस्व ग्रामों में संचालित की जायेगी। इस योजना की मुख्य

विशेषता यह है कि ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से इस परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा, जिससे ग्राम पंचायत तथा ग्रामीण समुदाय अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजन एवं क्रियान्वयन कर सकेंगे। इस परियोजना की लागत रु0 405 करोड़ (चार सौ पांच करोड़) है, जिसमें से रु0 315 करोड़ (तीन सौ पन्द्रह) विश्व बैंक का अंश है।

83. पर्यटकों की अधिक आमद के साथ राज्य के आर्थिक उन्नयन के लिये अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये विभिन्न एअर ऑपरेटर्स से समन्वय कर नियमित हवाई सेवायें प्रारम्भ किये जाने के लिये भी महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस हेतु जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के विस्तार की योजना को कार्यान्वित किया जायेगा। इसी के अनुरूप पन्तनगर हवाई अड्डे का भी विस्तार किया जाना प्रस्तावित है जिसमें प्रारम्भिक सर्वेक्षण का कार्य कर लिया गया है। बी0एच0ई0एल0 हरिद्वार में उपलब्ध एक विमान परिसर को भी क्रय किया जा रहा है। प्रत्येक जनपद में एक हैलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव है।

84. विभिन्न समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश–पत्र सीधे उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इससे मीडिया प्रतिनिधियों को सरकार के विकास कार्यों एवं अन्य कार्यों संबंधी जानकारी आदान–प्रदान करने में काफी सुविधा हो रही है। विभाग ने अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के मान्यताप्राप्त पत्रकारों को नया मान्यता कार्ड जारी करने का फैसला किया है, साथ ही मान्यताप्राप्त पत्रकारों को उत्तर प्रदेश की भांति राज्य सड़क परिवहन की बसों में रियायती सुविधा प्रदान की गयी है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के मध्य सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थायी समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये हैं, साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे माह में एक दिन तय कर प्रेस प्रतिनिधियों से जिला विकास कार्यों के विषय में चर्चा करें। राज्य के विभिन्न प्रेस क्लबों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून व प्रेस क्लब उत्तरकाशी को धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। उत्तरांचल में फिल्म निर्माताओं को

प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की फिल्म नीति निर्धारण की प्रक्रिया गतिमान है। इसी क्रम में मुम्बई में इस वर्ष आयोजित फ्रेम–2004 में उत्तरांचल राज्य ने सहयोगी राज्य के रूप में भाग लिया। सरकार की नीतियों एवं उपलब्धियों की जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए ऑडियो विजुअल के माध्यम से प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। प्रसार भारती के साथ मिलकर सूचना विभाग ने सुदूरवर्ती ऐसे ग्रामीण अंचलों को चिन्हित करने की कोशिश की है, जिन अंचलों में दूरदर्शन का प्रसारण नहीं हो रहा है। प्रसार भारती द्वारा ऐसे ग्रामीण इलाकों में क्यू बैन्ड के माध्यम से सजीव प्रसारण किया जा सकेगा।

85. विश्व के पर्यटन मानचित्र में उत्तरांचल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन आकर्षण के रूप में प्रतिस्थापित करने, निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजगारपरक बहुमुखी विधाओं का पर्यावरणीय दृष्टि से सुनियोजित एवं समेकित रूप से विकास कर आर्थिक व सामाजिक उन्नयन के लिये विदेशी मुद्रा के अर्जन हेतु पर्यटन को उत्तरांचल का पर्याय बनाने की भावना को लेकर उत्तरांचल की पर्यटन नीति के अनुसार तैयार की गई दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुनियोजित एवं त्वरित समेकित विकास हेतु विभिन्न विधाओं तथा संस्थागत व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि, पर्यटन हेतु विभिन्न स्रोतों से पूंजी निवेश में वृद्धि, रोजगार के लिये उपादान योजनायें, मानव संसाधन विकास, प्रचार–प्रसार एवं पर्यटन विपणन, पर्यटन आधारित शिल्प उद्योग को प्रोत्साहन आदि पर्यटनोपयोगी गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। रामनगर के निकट "कार्बेट कन्ट्री की स्थापना" के लिये निजी क्षेत्र की कम्पनी रामनगर इको पार्क लि0 के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है। जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट तथा दयारा बुग्याल के पर्यटन विकास के लिये भी निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। उत्तरांचल में पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं रोजगार के उद्देश्य से राज्य द्वारा "वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 555 उद्यमियों को बैंकों द्वारा वित्त पोषण हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी गई है ।

86 उत्तरांचल के विश्व प्रसिद्ध चारधामों की यात्रा सेवाओं में सुधार की दृष्टि से वर्ष 2004 में उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय पर चारधाम यात्रा हेल्प लाइन की स्थापना की गई, जिससे पर्यटकों को महत्वपूर्ण पर्यटन सूचनायें उपलब्ध कराई गईं। इस वर्ष यात्रियों की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा/संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि सुविधायुक्त मोबाइल वैन्स का संचालन किया गया।

87 अब तक वर्ष 2004–05 में राष्ट्रीय स्तर के 13 तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 2 सेमिनारों/ कॉन्फ्रेंस में उत्तरांचल पर्यटन द्वारा भागीदारी की गई, जिनमें उत्तरांचल पर्यटन को **Best Stall, Destination of the Year, Best Decorated Stall Awards** भी प्राप्त हुए।

88. अल्प आय वर्ग के पर्यटकों/यात्रियों के लिये पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित 1120 शैय्याओं की 25 आवासीय सुविधाओं (रैन बसेरा) को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगार युवक–युवतियों के माध्यम से संचालित करवाकर उन्हें रोजगार प्रदान करवाया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के होटल मेनेजमेंट/कैटरिंग संस्थान की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास की दिशा में भी पर्यटन विभाग सतत् क्रियाशील है।

89. कुम्भ नगरी, हरिद्वार में ग्रेट ग्रीन विस्टा के लिये रु0 399.00 लाख तथा ऋषिकेश में स्वच्छता बनाये रखने हेतु रु0 99.00 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जागेश्वर (अल्मोड़ा) में आवासीय सुविधा के विस्तार हेतु रु0 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। इन योजनाओं का कार्य अन्तिम चरण में है।

90. समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है। मेरी सरकार भी दलितों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, स्वच्छकारों एवं समाज के सभी दबे हुए और कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए वचनबद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को नई दिशा प्रदान करने के लिए मेरी सरकार ने स्पेशल कम्पोनेंट प्लान एवं ट्राईबल सब–प्लान के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

समाज कल्याण विभाग को दी है तथा इस हेतु समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

91. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए दी जा रही छात्रवृत्ति की दर में वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों में शिक्षा की अभिरूचि विकसित करने के उद्देश्य से उन्हें अपने परिवार के परम्परागत जीवन से दूर रखकर आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी आश्रम पद्धति विद्यालयों को भवन प्रदान करने के राज्य सरकार के निश्चय के फलस्वरूप विद्यालयों के भवन या तो बन चुके हैं अथवा निर्माणाधीन हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति आश्रम पद्धति विद्यालयों में छात्रों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए गत वर्षों से रिक्त चल रहे शिक्षकों के 61 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 4 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं तथा 2 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मालधनचौड (नैनीताल) एवं बागेश्वर में स्थापित किये जा रहे हैं। इन प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाये जा रहे परम्परागत व्यवसायों की समीक्षा की जा रही है तथा वर्तमान परिपेक्ष्य में अनुपयोगी पाये जा रहे व्यवसायों के स्थान पर आधुनिक व्यवसायों को सम्मिलित किया जा रहा है। इसी क्रम में इन संस्थानों में कम्प्यूटर व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

92. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 परीक्षाओं के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान करने हेतु इस वित्तीय वर्ष में अल्मोड़ा में एक केन्द्र शुरु किया गया है, जबकि गढ़वाल मण्डल हेतु देहरादून में दो केन्द्र गतवर्ष से संचालित हैं। कुमाऊँ विश्वविद्यालय में भी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की योजना है। अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए 19 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के 71 एवं अनुसूचित जनजाति के 90 छात्र आवास सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष दो नये छात्रावास – एक देहरादून में तथा एक अल्मोड़ा में निर्मित कराये गये। प्रदेश सरकार के प्रयास से भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति के लिए एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी है,

जिसे एकलव्य स्कूल के नाम से जाना जायेगा। आदिम जनजाति के विकास के लिए आवश्यक अनुकूल योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से आधारभूत सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

93. उत्तरांचल बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सफाई कर्मचारी/स्वच्छकारों को आर्थिक गतिविधियों हेतु रियायती ब्याज दरों पर ऋण सुविधा मुहैया कराई जा रही है। गतवर्ष बैंकों के माध्यम से रुपये 7.09 करोड़ की धनराशि तथा बहुद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से रुपये 3.07 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों के पक्ष में स्वीकृत की गई तथा लगभग 16 करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की गई। प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल यह भी है कि अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को आर्थिक विकास व स्वरोजगार परियोजना संचालित करने के लिए अनुदान की धनराशि की अधिकतम सीमा रुपये 6 हजार से बढ़ाकर रुपये 10 हजार कर दी गई है। अनुसूचित जाति/जनजातियों के समन्वित विकास हेतु जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।

94. उत्तरांचल में अनुसूचित जाति/जनजाति के परम्परागत शिल्प को बचाये रखने हेतु शिल्पी ग्राम योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत हल्द्वानी में शिल्प हाट का निर्माण करवाया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के समन्वित विकास हेतु एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कालसी एवं चकराता, जनपद देहरादून में स्वीकृत की गई है। अन्य पिछड़ा वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है तथा उत्तरांचल में निवासरत ऐसी जातियों व समुदायों की पहचान करने का प्रयास किया गया है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के मानक को पूरा करते हैं। फलस्वरूप उत्तरांचल बनने के बाद पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में विस्तार करते हुए कुथलिया बोरा, घृत बाहती चांहग जातियों एवं रवाल्टा/जौनपुरी तथा गोरखा समुदायों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त बिनहार क्षेत्र अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की योजना की गयी है।

95. हमारे अल्पसंख्यक भाईयों एवं बहनों की ओर मेरी सरकार का ध्यान है। एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने जैन समुदाय को प्रदेश में अल्पसंख्यक घोषित किया है। हज

यात्रा के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य हज समिति का गठन किया गया। हज यात्रियों की सुविधा के लिए पिरान कलियर (रुड़की) में 800 हज यात्रियों की क्षमता के हज हाउस का निर्माण किया जा रहा है। हज यात्रा में उत्तरांचल के 786 (बिस्मिल्लाह) व्यक्ति सम्मिलित हुए, जबकि इस वर्ष 950 व्यक्तियों के जाने की व्यवस्था की गई है। भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है तथा इस उद्देश्य से उत्तरांचल पूर्व सैनिक कल्याण उद्यम लि0 का गठन किया गया है; राज्याधीन सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। एक अन्य पहल में पुनर्वास निधि के पत्थरचट्टा फार्म की आय बढ़ाने के दृष्टिकोण से उसके 239 एकड़ भू–भाग में कान्ट्रेक्ट फार्मिंग की व्यवस्था की गई है। उत्तरांचल राज्य के वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान एवं वार्षिकी की धनराशि बढ़ाकर केन्द्र सरकार द्वारा सुझावित धनराशि के बराबर कर दी गई है।

96. विकलांगजनों के कल्याण के लिए एक पृथक विकलांगजन आयुक्त कार्यालय की स्थापना कर भारत सरकार की सहायता से स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किये गये तथा प्रशिक्षण सहित अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं।

97. प्रदेश में निवासरत गरीबी की रेखा के नीचे रहनेवाले सभी परिवारों को भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री योजना से आच्छादित किया गया है।

98. हरिद्वार में इस सदी का प्रथम अर्द्धकुम्भ मेला सम्पन्न हुआ है। इस हेतु नियंत्रण में ली गयी भूमि तथा सृजित की गयी परिसम्पत्तियों आदि की सुरक्षा एवं अनुरक्षण सुनिश्चित करने तथा आगामी कुम्भ मेले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ''कुम्भ क्षेत्र नियंत्रण एवं व्यवस्था समिति'' का गठन किया गया है। गत वर्ष जहां, एक ओर, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण विभिन्न नगरीय सुविधाओं पर दबाव भी बढ़ा है, वहीं नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त निवेश की कमी रही है। विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट एवं मेडिकल अपशिष्ट निस्तारण (Solid/Medical Waste Disposal) के लिये विस्तृत परियोजनायें गठित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए तथा नगरीय स्थानीय निकाय

मार्ग प्रकाश व्यवस्था एवं अवस्थापना तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थापना हेतु रु0 54.00 करोड़ का वित्त पोषण प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। नगर पालिका एवं नगर निगम अधिनियमों में व्यापक संशोधन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही की जा रही है। USAID की सहायता से नगरीय निकायों के लिये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से उनका कम्प्यूटरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजनान्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं चमोली के शहरी गरीब लोगों को भवन निर्माण कर उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत हो चुकी है। शेष नगरों की योजनाओं को भी तैयार कराया जा रहा है। उत्तरांचल राज्य के स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के लिये पृथक से 1 लाख रुपया प्रत्येक कर्मचारी के लिए नई बीमा पॉलिसी लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। नगरीय क्षेत्रों की अवस्थापना विकास हेतु एशियन डेवलपमेन्ट बैंक को रु0 4047 करोड़ की सहायता हेतु प्रस्ताव (Inception Report) प्रस्तुत किया गया है।

99. नजूल नीति का निर्धारण किया जा रहा है। उत्तरांचल में आवास समस्या के स्थायी निदान हेतु उत्तरांचल आवास नीति तथा उत्तरांचल मलिन बस्ती नीति प्रतिपादित की जा रही है। इन नीतियों का प्रतिपादन आवास एवं मलिन बस्तियों से सम्बंधित समग्र विकास का मार्ग प्रतिपादित करेगा। अतः जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्वांगीण अवस्थापना विषयक विकास सुनिश्चित किये जाने हेतु लैण्ड पूलिंग के सिद्धांत को विधिक स्वरूप प्रदान किया जायेगा। आवास के क्षेत्र में गैर सरकारी एवं सहकारी निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु नीति प्रस्तावित है। प्रदेश के मुख्य शहरों में देहरादून की भाँति गैर सरकारी निवेश के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। इसी प्रकार अवस्थापना मदों में भी गैर सरकारी निवेश को प्रोत्साहित किया जायेगा। उत्तरांचल की जनाकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप नगर एवं क्षेत्र नियोजन से सम्बंधित एक नये अधिनियम के गठन के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सभी नगरीय क्षेत्रों के लिए रिमोट सैंसिंग एवं जी0आई0एस0 प्रणाली के आधार पर विस्तृत मानचित्रीकरण करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसका उपयोग नगरों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना से सम्बंधित नियोजन, निर्माण एवं अनुश्रवण क्रियाओं के लिये जाने के साथ-साथ सम्पत्तियों के मानचित्रीकरण एवं कर आरोपण के लिये

किया जायेगा। प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी भवन प्लान आन–लाइन स्वीकृत किये जाने की योजना विचाराधीन है।

100. प्रदेश में सुचारु शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। यह सन्तोष का विषय है कि सीमित संसाधनों के साथ भारत–नेपाल सीमा पर लगातार चौकसी रखते हुये यह सुनिश्चित किया गया कि सीमापार सक्रिय माओवादी गतिविधियों पर तथा चरम वामपन्थी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया, जिससे इनका कुप्रभाव राज्य के क्षेत्रों पर न पड़ने पाये। प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इण्डिया रिर्जव वाहिनी का गठन किया गया जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।

- भारत–नेपाल सीमा में माओवादी/चरम वामपन्थी गतिविधियों की रोकथाम हेतु पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार को 46.86 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं । इस योजना में पुलिस बल के लिये आवासीय अनावासीय भवनों, वाहन, उपकरणों तथा विभिन्न प्रकार के संचार उपकरण उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- कानून व्यवस्था एवं आन्तरिक सुरक्षा हेतु संचार माध्यमों को सुदृढ़ किये जाने हेतु सहतरंग योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत वन विभाग, राजस्व विभाग तथा पर्यटन विभाग के उपलब्ध रेडियो संचार प्रणाली को पुलिस संचार विभाग से समाकलन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा सहायतित पोलनेट योजना को उत्तरांचल के 11 जनपद यथा–देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा चम्पावत में क्रियान्वित करा दिया गया है। जिसके माध्यम से देश के सभी राज्य पुलिस मुख्यालयों तथा समस्त जनपद पुलिस मुख्यालय आपस में वायस फैक्स तथा डाटा से जुड़ जायेंगे। यह गौरव की बात है कि पोलनेट योजना का प्रथम क्रियान्वयन उत्तरांचल पुलिस द्वारा किया गया।

* पुलिस विभाग के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण तथा वर्दी धुलाई भत्तों तथा पौष्टिक आहार भत्ते की दरों में वृद्धि की गयी है।

101. युवा पीढ़ी के हितार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद क्रियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में 8 ग्रामीण स्टेडियम निमार्णाधीन हैं। सरकार द्वारा प्रान्तीय रक्षक दल के अवैतनिक ब्लॉक कमाण्डरों एवं हल्का सरदारों का मानदेय बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है। सरकार के विशेष प्रयासों से 700 स्वयंसेवकों को विभिन्न संस्थानों में तैनात कर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। भारत सरकार के सहयोग से युवाओं को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से 6 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण हिल्ट्रान के माध्यम से एवं 3 माह का फल प्रसंस्करण प्रशिक्षण उद्यान विभाग के सहयोग से प्रत्येक जनपद में 120 युवाओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को संगठित करने एवं महिला मंगल दलों के गठन में सहयोग प्रदान करने हेतु क्षेत्र स्तर पर तैनात महिला संगठिका का मानदेय रु0 700 से बढ़ाकर रु0 1500 किया गया है। सर्वश्रेष्ठ युवक ओर महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष विवेकानन्द यूथ एवार्ड से सम्मानित करने की व्यवस्था की गयी है।

102. आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र को स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। केन्द्र द्वारा विविध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त उत्तरांचल एवं देश के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत विशेषज्ञ संस्थाओं, विशेषज्ञों, विश्वविद्यालय एवं अन्य के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि नवीनतम तकनीकी का समावेश उत्तरांचल के आपदा प्रबन्धन तंत्र के सुदृढ़ीकरण में किया जा सकेगा। केन्द्र द्वारा आपदा जोखिम परियोजना (यू0एन0डी0पी0) के सहयोग से सामुदायिक जागरूकता अभियान की एक वृहत योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा इसके अंतर्गत उत्तरांचल के 8 जनपदों (नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी) के प्रत्येक गांव हेतु आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना के निर्माण के साथ–साथ प्रत्येक गांव में ग्राम स्तरीय अन्तराक्षेपण दलों का गठन भी किया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन में सूचना के महत्व को स्वीकारते हुए केन्द्र द्वारा आपदा प्रबन्धन सूचना प्रणाली स्थापित करने की

एक योजना तैयार की गयी है, जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण उत्तरांचल में वीसैट प्रणाली से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उत्तरांचल के 13 जनपदों में रोड नेटवर्क एवं भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से बहुद्देशीय ड़ेटा बैंक तैयार किया गया है। सितम्बर 2003 में वरूणावत पर्वत के भूस्खलन हो जाने पर मेरी सरकार द्वारा त्वरित कार्यवाही करके भूस्खलन के उपचार हेतु रु0 250.00 करोड़ का पैकेज भारत सरकार से स्वीकृत कराया गया, जिसके अन्तर्गत वरूणावत पर्वत के उपचार के लिये तीन वर्षीय कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण को समस्त तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु अधिकृत किया गया है तथा टी0एच0डी0सी0 को कंसलटेन्सी हेतु नामित करते हुए ट्रीटमेंट कार्य हेतु तैयार की गयी ड्राइंग डिजाइन आदि पर भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण से तकनीकी परामर्श लिया गया है। वरूणावत पर्वत के भूस्खलन से प्रभावितों में राहत कार्यों एवं पुनर्निर्माण कार्यों तथा विस्थापन आदि हेतु भारत सरकार से अग्रिम रूप में रु0 50.00 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो गयी है तथा वरूणावत पर्वत ट्रीटमेंट कार्य हेतु रु0 17.27 करोड़ की धनराशि आवंटित कर वरूणावत पर्वत का ट्रीटमेंट कार्य गतिमान है।

103. राजस्व पुलिस क्षेत्र में उपरोक्त प्रत्येक ग्राम सभा में विलेज चौकीदार की भाँति ग्राम प्रहरी तैनात कर दिया गया है, जो अपनी ग्राम सभा में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में राजस्व पुलिस की सहायता करेगा। इस प्रकार कुल 5,223 ग्राम प्रहरी राजस्व पुलिस क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम सभाओं में तैनात कर किये गये हैं। उत्तरांचल के पर्वतीय जनपदों में बिखरी हुई जोतों को मिलाकर एक सम्मिलित जोत या दो स्थानों पर नियत करने हेतु स्वैच्छिक चकबंदी योजना लागू करने के सम्बन्ध में भूमि सुधार परिषद् का गठन किया गया है।

104. प्रदेश का लगभग 65 प्रतिशत भू–भाग दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व राजस्व पुलिस के पास है। अतः मुख्य संचालक राजस्व पुलिस के अधीन राजस्व पुलिस निदेशालय का गठन किया गया है। जिसका मुख्यालय देहरादून में रखा गया है।

105. अन्त्योदय अन्न योजना में अक्टूबर, 2001 से भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों में भी निर्धनतम परिवारों को लाभान्वित किये जाने हेतु अन्त्योदय अन्न योजना चलायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत रु0 2 प्रति किलो ग्राम गेहूं तथा रु0 3 प्रति किलोग्राम चावल दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के अनुरूप 76,300 परिवारों को अन्त्योदय योजना से आच्छादित किया गया है। विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना (खाद्य विभाग द्वारा संचालित) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गत वर्ष विस्तारित अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत विधवाओं, असहाय लोगों, एकल पुरुष/एकल स्त्री, जनजाति परिवार को लक्षित करते हुए उत्तरांचल के लिये 38,200 परिवारों का लक्ष्य रखा गया जिसे पूर्ण कर लिया गया है।

106. मेरी सरकार द्वारा धान की खरीद उस स्थिति में की जाती है, जब बाजार भाव धान के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाता है अर्थात् इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। राज्य सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 50,000 मी0टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 तक राज्य सरकार की क्रय संस्थाओं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उत्तरांचल को--आपरेटिव, विपणन संघ द्वारा क्रमशः 499 मी0टन तथा 4724 मी0टन धान कुल 8715 मी0टन धान की खरीद की जा चुकी है। खरीफ वर्ष 2004–05 में लेवी चावल के क्रय का कार्यकारी लक्ष्य 4.00 लाख मी0टन निर्धारित किया गया है। इसमें स्टेट पूल के अन्तर्गत 1.35 लाख मी0टन तथा केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत 2.65 लाख मी0टन चावल का संग्रहण किया जायेगा। दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 तक कुल 65778 मी0टन चावल की खरीद की जा चुकी है।

107. मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि चौथे स्तम्भ के रूप में प्रदेश के विकास में प्रेस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से मेरी सरकार विभिन्न स्तरों पर मीडिया से अधिक से अधिक संवाद हेतु प्रयासरत है। निश्चित रूप से मेरी सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास व कल्याणकारी योजनाओं को जन--जन तक पहुँचाने हेतु प्रेस एवं मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरी सरकार प्रेस एवं मीडिया के अधिकारों के साथ–साथ उनके कल्याण के प्रति भी कटिबद्ध है। पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है। प्रदेश के

पत्रकारों को रियायती दर पर शासकीय बसों पर यात्रा सुविधा भी प्रदान की जा रही है। विभिन्न जनपदों में प्रेस क्लबों की स्थापना हेतु राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। इनके अतिरिक्त मेरी सरकार प्रेस व मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों हेतु अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु भी विचार कर रही है।

108. उत्तरांचल अपनी गरिमामय सांस्कृतिक विरासत के लिये भारतवर्ष में एक अग्रणीय स्थान रखता है, जिसने गंगा यमुना के उद्‌गम स्थल, वैदिक ऋचाओं की संकलन स्थली, पुराणों का रचना केन्द्र तथा देवभूमि होने के साथ–साथ साहित्य, कला, संस्कृति से भारतीय संस्कृति को परिष्कृत किया है। हमें आशा है कि माननीय सदस्यगणों के नेतृत्व में उत्तरांचल राज्य के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध होकर हमें अपने कदम इस प्रकार बढ़ाने हैं, जिससे कि हमारा नवोदित प्रदेश महान राष्ट्र के एक अंग के रूप में प्रजातांत्रिक माध्यम से विकास की तेज गति को सुनिश्चित कर सके। हमें अन्य राज्यों के साथ–साथ भागीदारी निर्वहन के अपने नैतिक एवं ऐतिहासिक कर्तव्य का पालन करना होगा। अन्त में आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुये आशा करता हूँ कि विधान सभा के अमूल्य समय का सदुपयोग, सभी नियत कार्यों को सम्पन्न कराने में, आपके नेतृत्व एवं सहयोग से सम्भव हो सकेगा तथा माननीय सदस्यगण विधायी एवं संसदीय कार्यों के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अनुपूरक बजट का पारण भी करेंगे।

जय हिन्द

* * * *